संख्या: 331/2016/1305/35-4-2016

प्रेषक,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 27 सितम्बर, 2016**

विषय- **वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्रीय योजना सपोर्ट फार स्टेस्टिकल स्ट्रेन्थनिंग (एसएसएस) के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 955/ले0-69/2009टी0सी0, दिनांक 25.07.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या: I-12012/12/2015-ISSP(UP), दिनांक 18.07.2016 द्वारा वर्ष 2015-16 में प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त रू0 6.00 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष अवशेष बची धनराशि रू0 4.0631 करोड़ को वर्ष 2016-17 में व्यय किये जाने हेतु नवीनीकृत किये जाने के फलस्वरूप राज्यांश की धनराशि रू0 20.00 लाख सहित कुल रू0 4.2631 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सपोर्ट फार स्टेस्टिकल स्ट्रेन्थनिंग(एसएसएस) योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यांश सहित कुल रू0 4,26,31,000/- (रू0 चार करोड़ छब्बीस लाख इकतिस हजार मात्र) व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नांकित शर्तो के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

3- यह स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में उल्लिखित शर्तो एवं प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान की गई है, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मदों के समक्ष अंकित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) अन्य किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नहीं देता है। अत: व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पूर्व प्रत्येक दशा में शासन/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

5- आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण कोषागार से तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

6- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- व्यय करने के पूर्व भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों/शर्तो/एम0ओ0यू0 के प्राविधानों/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत योजना पर भारत सरकार द्वारा विभिन्न मदों में निर्धारित वित्तीय सीमा तक ही धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय किये जाने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भेजा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
9- इस संबंध में होनेवाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनागत-001-निदेशन तथा प्रशासन-04- स्टेट स्ट्रेटेजिक स्टेटिस्टिकल प्लान के अन्तर्गत मद 42- अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या:यू0ओ0-ई-5-912/दस-2016, दिनांक 22.09.2016 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव।

संख्या: 331/2016/1305 (1)/35-4-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, 9वां तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 25 के0जी0 मार्ग, नई दिल्ली-110001
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। 6. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।